G.P.C.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 93 (App.) बिलासपुर, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2021

II-14-1/2021 (Steno.)

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPS No. 2007/2019(Saifan Khan Vs. High Court of Chhattisgarh) में पारित आदेश दिनांक 26.03.2021 के परिपालन में **श्री सैफन खान, आत्मज श्री हिदायत खान,** एफ–10, ओल्ड डी.एफ.ओ. कम्पाउंड, फोर्थ ब्रिज के पास, नेपियर टाउन, जिला–जबलपुर (म.प्र.)–482001, को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थापना में रिक्त **शीघ्रलेखक (अनारक्षित) के पद पर** पे–मेट्रिक्स के लेवल–9 (38100-120400) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता है :–

(1) परिवीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परिवीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(3) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(5) उन्हें दिनांक 05.01.2022 तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा उक्त तिथि तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(6) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(11) **वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।**

(12) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(13) **उनकी वरीयता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPS No. 2007/2019(Saifan Khan Vs. High Court of Chhattisgarh) में पारित आदेश दिनांक 26.03.2021 के परिपालन में इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ श्री वसंत कुमार, शीघ्रलेखक के नीचे तथा श्री अजय कुमार द्विवेदी, शीघ्रलेखक के ऊपर अर्थात दोनो के बीच में निर्धारित होगी।**

(14) यह नियुक्ति आदेश उनके उपलब्ध निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। वे नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

(15) उन्हे शपथ लेना होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

(16) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 12851 / बिलासपुर, दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021
II-14-1/2021(Steno.)

प्रतिलिपि :–
1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजिलेन्स/आई.एण्ड ई./न्यायिक), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक/स्था./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–कम–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (कार्य)/एडिशनल रजिस्ट्रार–सह–पी.पी.एस., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. श्री अजय कुमार द्विवेदी, श्री अमरदीप चौबे तथा श्री राघवेन्द्र जाट, सभी शीघ्रलेखक
11. **सैफन खान, आत्मज श्री हिदायत खान,** एफ–10, ओल्ड डी.एफ.ओ. कम्पाउंड, फोर्थ ब्रिज के पास, नेपियर टाउन, जिला–जबलपुर (म.प्र.)–482001.

<u>की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।</u>

20.12.21
(संजय कुमार जायसवाल)
रजिस्ट्रार जनरल

Be uploaded on website
21.12.21